मानवाधिकार संगठन एसोशिएशन के सभी राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संभागीय, जिला, ब्लाक, तहसील, शहर के सभी वरिष्ठ और जवाबदार छोटे-बडे पदाधिकारियों को विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि,

1. आपसी घरेलू विवाद, पति-पत्नी का विवाद, व्यक्तिगत आर्थिक विवाद से जुडे प्रकरण की एफ.आई.आर. पुलिस थाने में देते समय कृपया संगठन के या किसी भी राजकीय पार्टी के लेटरहेड पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु लिखित शिकायत न दें।
2. पुलिस थाने में किसी भी कारणवश जाने पर पुलिस थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों से धीमी आवाज में विनम्रता से अपना परिचय दे।
3. किसी भी बड़े से बड़े प्रदेश के पुलिस महासंचालक (डी.जी.पी.), पुलिस महानिरीक्षक श्रेणी, डी.आय.जी. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक डी.एस.पी. और पुलिस थाने में मौजूद मध्यप्रदेश की भाषा में टी.आई., महाराष्ट्र की भाषा में पुलिस निरीक्षक, पी.एस.आई., पुलिस हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल सभी के साथ सम्मानजनक भाषा में बात करें। संगठन का पदाधिकारी होने का डर या दबाव न बतायें। ऐसा करना सरासर गलत बात होगी। किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक भाषा में वार्तालाप कर अपनी शिकायत लिखित तौर पर देना चाहिए। क्योंकि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी और सभी पुलिस कर्मचारी यह हमारे अपने देश के नागरिक होने के साथ ही यह भी मानवाधिकार के हकदार है। स्थानीय शांतता, सुरक्षा व सुव्यवस्था (लॉ ॲन्ड ऑर्डर) बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग करें और सभी का सम्मान करें। आपको अच्छा सहयोग, सम्मान जरूर मिलेगा। इसी विश्वास और आशा के साथ शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद !

विनीत,

(पं. दिनेश शर्मा)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
मानवाधिकार संगठन एसोशिएशन

Scanned by CamScanner

<u>मानवाधिकार संगठन एसोशिएशन के सभी राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संभागीय, जिला, ब्लाक, तहसील, शहर के सभी वरिष्ठ और जवाबदार छोटे-बडे पदाधिकारियों को विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि,</u>

1. आपसी घरेलू विवाद, पति-पत्नी का विवाद, व्यक्तिगत आर्थिक विवाद से जुडे प्रकरण की एफ.आई.आर. पुलिस थाने में देते समय कृपया संगठन के या किसी भी राजकीय पार्टी के लेटरहेड पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु लिखित शिकायत न दें।
2. पुलिस थाने में किसी भी कारणवश जाने पर पुलिस थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों से धीमी आवाज में विनम्रता से अपना परिचय दे।
3. किसी भी बड़े से बड़े प्रदेश के पुलिस महासंचालक (डी.जी.पी.), पुलिस महानिरीक्षक श्रेणी, डी.आय.जी. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक डी.एस.पी. और पुलिस थाने में मौजूद मध्यप्रदेश की भाषा में टी.आई., महाराष्ट्र की भाषा में पुलिस निरीक्षक, पी.एस.आई., पुलिस हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल सभी के साथ सम्मानजनक भाषा में बात करें। संगठन का पदाधिकारी होने का डर या दबाव न बतायें। ऐसा करना सरासर गलत बात होगी। किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक भाषा में वार्तालाप कर अपनी शिकायत लिखित तौर पर देना चाहिए। क्योंकि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी और सभी पुलिस कर्मचारी यह हमारे अपने देश के नागरिक होने के साथ ही यह भी मानवाधिकार के हकदार है। स्थानीय शांतता, सुरक्षा व सुव्यवस्था (लॉ ॲन्ड ऑर्डर) बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग करें और सभी का सम्मान करें। आपको अच्छा सहयोग, सम्मान जरूर मिलेगा। इसी विश्वास और आशा के साथ शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद !

विनीत,

(पं. दिनेश शर्मा)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
मानवाधिकार संगठन एसोशिएशन

Scanned by CamScanner